# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 06/2018 G.C.M.S. No. 2018/00052 दर्ज दिनांक : 12.02.2018**

**अपीलार्थी:**

1. माणकाराम पुत्र अचला, जाति पुरोहित, निवासी भादरवा बेरा बालसमंद के पास भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. रेवाराम पुत्र अचला, जाति पुरोहित, निवासी भादरवा बेरा बालसमंद के पास भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर के का.मु.—
   1/1 गौतम कुमार पुत्र रेवाराम, जाति पुरोहित
   1/2 प्रकाश पुत्र रेवाराम, जाति पुरोहित
   1/3 राजू पुत्र रेवाराम, जाति पुरोहित
   1/4 मंजू पुत्री रेवाराम, जाति पुरोहित
   1/5 लक्ष्मी पुत्री रेवाराम, जाति पुरोहित
   1/6 जतूदेवी पत्नि रेवाराम, जाति पुरोहित, सर्वनिवासियान भादरवा बेरा बालसमंद के पास भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
2. भागूदेवी पत्नि पूनमाराम, जाति पुरोहित, साकिन नासोली, तहसील भीनमाल।
3. चौथीदेवी पत्नि वगताराम, जाति पुरोहित, साकिन बिलर, तहसील रानीवाड़ा।
4. मोहनलाल पुत्र भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
5. हड़मताराम पुत्र भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
6. मंगलाराम पुत्र भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
7. रमेशकुमार पुत्र भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
8. प्रभूराम पुत्र भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
9. हुआदेवी बेवा भबूताराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
10. सांवलाराम पुत्र सोना, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
11. गोरधन पुत्र गणेशा, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
12. खिमचंद पुत्र गणेशा, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
13. पुखराज पुत्र मससाराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2013 बअनवान रेवाराम बनाम माणकाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017**

**पैरोकार–**

1. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री त्रिलोकचंद मेहता, श्री कुशलराज, श्री फरमान अली, श्री बालूराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

## निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2013 बअनवान रेवाराम बनाम माणकाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध मुद्रा अपीलान्ट व दीगर रेस्पोन्डेन्ट्स के खिलाफ प्रस्तुत किया। जिसमें मुझ अपीलान्ट द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा अपीलान्ट के अलावा अन्य अधिकांश प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया तथा कालान्तरण में उक्त वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय मातहत में अपनी समुचित पैरोकारी नहीं की व उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर कलेम को दरकिनार करते हुए अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम बिना साक्ष्य रेकर्ड पर लिए खारिज कर दिया तथा अपनी मनमर्जी से बंटवाडा का आदेश पारित कर दिया। जोकि पूर्णतया विधिविरूद्ध है। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं नियमों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिज है। एक तरफ तो वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में एक तरफा खारिज किया है वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी मुझ रेस्पोंडेन्ट का काऊन्टर क्लेम भी खारिज कर बंटवाडा की डिग्री के आधार पर जारी की गयी उसका अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश कानूनन खारिज किए जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा मौके की स्थिति के अनुरूप बँटवाडा करवाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में जबरन दखलंदाजी कर उसके बंट में आई भूमि को हथियाना चाहते है इस कारण मौके की स्थिति से भिन्न अपनी ईच्छानुसार बंटवाडा करवाना चाहते है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरासर गलत है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलान्ट को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं तथा रेस्पोडेन्ट समय-समय पर बेवजह अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल करने की धमकीयां देते रहते हैं। इस कारण उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाना आवश्यक हो गया था। इस हेतु अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस पर कोई सुनवायी न कर अदालत मातहत ने भारी त्रुटि की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्जा रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है--

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंटगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 11, 12, 13 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2017 को वादपत्र अस्वीकार करते हुए एवं प्रतिवादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन बाबत अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.08.2017 को नॉ इंस्ट्रक्शन प्लीड कर देने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 19.04.2017 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके फलस्वरूप वादपत्र खारिज हुआ। लेकिन प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत था तथा विद्वान विचारण न्यायालय दिनांक 11.12.2017 को प्रकरण में साक्ष्य लिए बिना पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजीयात के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बाबत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जोकि स्पष्ट रूप से बिना साक्ष्य के वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है। जो विधिसम्मत नहीं हैं।
3. अपीलांट द्वारा प्रकरण में पारिवारिक बंटवाड़ा होने एवं उसके अनुरूप बंटवाडा नहीं किए जाने से संबंधित लिए गए उज्र के संबंध में निवेदन है कि चूंकि प्रकरण में साक्ष्य की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही नहीं की गई हैं तथा अपीलांट का उक्त उज्र साक्ष्य के आधार पर साबित या नासाबित होना है। अतः उक्त उज्र स्वीकार योग्य है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2013 बअनवान रेवाराम बनाम माणकाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को वादपत्र के रूप में विचारणार्थ ग्रहण कर दीगर पक्षकारान को बतौर प्रतिवादी संयोजित करवाते हुए इसी अनुरूप संशोधित शीर्षक प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डी0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली